

माइक्रो इरीगेशन योजनान्तर्गत

लाभ लेने हेतु

प्रस्तुत किये जाने वाले

आवेदन पत्र

का

प्रारूप

एवं

संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज

व अन्य आवश्यक

प्रमाण पत्र

आवेदन प्राप्त करने का दिनांक

केन्द्र प्रवर्तित एवं राज्य सहायता प्राप्त सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

आवेदन का पंजीयन क्रमांक.....
दिनांक
सदस्य सचिव,
जिला मा.इ.स. जिला.....

आवेदक का
पासपोर्ट फोटो

प्रति,

सहायक संचालक उद्यान
सह सदस्य सचिव,
जिला माइक्रो इरीगेशन समिति,
जिला

1. कृषक का नाम :
2. पिता का नाम :
3. पति का नाम (यदि महिला है तो) :
4. जाति :
5. ग्राम :
6. ब्लाक/ तालुका :
7. जिला :
8. इनके नाम पर कुल क्षेत्रफल (है०) :
9. खेत की सर्वेक्षण संख्या :
10. यह प्रणाली कहां स्थापित करना चाहते हैं :
- (तालाटी का प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
11. क्या इनके परिवार के सदस्यों ने : हां/ नहीं
12. पूर्व में भारत सरकार की किसी योजना से सब्सिडी प्राप्त की है
13. यदि हां तो इसका विवरण दें :
- क्षेत्र (है०) :
- शामिल फसलें (है०) :
14. स्थापना का वर्ष :
15. उगाई जाने वाली फसलें :
16. वांछित प्रणाली का प्रकार :
17. वह फसल जिसके लिए प्रणाली चाहिए :

18. यदि प्रणाली की जरूरत रोपण फसल :
के लिए है तो क्या कोई अंतःफसल
भी शामिल करके प्राप्त की जाएगी ?
19. यदि हां, तो अंतःफसल का प्रकार :
सिंचाई के अंतर्गत कुल क्षेत्र :
20. सिंचाई हेतु जल का स्रोत :
21. यदि कुआं (वेल) है तो क्या खुला :
22. कुआं है या ट्यूबवैल :
23. कुएं में जल तलिका की गहराई :
24. ट्यूब वेल की गहराई :
सिंचाई जल की गुणवत्ता :
(विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न करें)
25. कुएं के दैनिक उपयोग का समय :
26. यदि नहीं है तो क्या भंडारण का :
कोई प्रावधान किया गया है
27. यदि हां, तो जलाशय की लम्बाई :
चौड़ाई कितनी है
28. क्या कोई फार्म पौंड उपलब्ध है :
29. यदि हां तो पौंड की लम्बाई चौड़ाई :
कितनी है
30. यदि जल का कोई स्रोत नहीं है तो :
क्या योजना है
31. प्रतिदिन बिजली कितने घंटे उपलब्ध :
होती है
32. बिजली उपलब्धता के घंटे :
33. पम्प की हार्स पावर :
34. डीजल इंजन की हार्स पावर :
35. भूमि की लम्बाई-चौड़ाई :
36. क्या मृदा समस्याग्रस्त है या अच्छी है :
(प्रति संलग्न) मृदा गहराई
37. कृषक किस कम्पनी का सिस्टम क्रय :
करना चाहता है ।

आवेदक के हस्ताक्षर

नोट : सूक्ष्म सिंचाई योजनान्तर्गत सिस्टम की स्थापना में सिस्टम के कृषक अंश के अतिरिक्त अन्य कार्य जैसे ट्रेन्च(नाली) खुदाई, विद्युत कनेक्शन, सिविल कार्य, जी.आई फिटिंग आदि पर होने वाला व्यय कृषक के स्वयं वहन करना होगा

निम्नलिखित प्रमाण पत्रों को संलग्न किया जाए :

1. भूमि के मानचित्र के साथ सर्वेक्षण संख्या तथा इनके नाम पर खेत की क्षेत्रफल (है0) को संलग्न किया जाए ।
2. इस संबंध में एक प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए कि अपने या आपके परिवार के सदस्यों (यदि संयुक्त है) ने भारत सरकार की योजना के तहत छिड़काव/ड्रिप सिंचाई के लिए सब्सिडी का लाभ नहीं उठाया है।
3. कृषक के पास सिंचाई का स्रोत उपलब्ध न होने की स्थिति में संबंधित कृषक अपने पड़ोसी कृषक से सिंचाई हेतु पानी की व्यवस्था करता है तो पड़ोसी कृषक की सहमति का निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र आवश्यक लिया जावे । तदपश्चात ही सयंत्र स्थापना की कार्यवाही की जावे ।
4. मृदा और जल परीक्षण रिपोर्ट
5. समझौता जिसमें यह स्पष्ट किया गया हो कि ये तीन वर्ष की अवधि तक इस प्रणाली को किसी भी व्यक्ति को नहीं बेचेंगे या प्रतिदान या किराए पर नहीं देंगे ।
6. यह तीन वर्ष की अवधि के दौरान कृषि/ बागवानी/ डी. आर. डी. ए. या अन्य किसी सरकारी कार्मिकों के अपने खेत में इसे स्थापित की गई प्रणाली का निरीक्षण करने की अनुमति देंगे ।

पंजीकृत आवेदनों के क्रमांक एवं दिनांक से संबंधित कृषक के अवगत कराने हेतु
प्रपत्र का प्रारूप

प्रति,

श्री / श्रीमती
ग्राम / पोस्ट
विकासखण्ड
जिला

माइक्रो इरीगेशन योजनान्तर्गत आपकी ओर से प्राप्त आवेदन विकासखण्ड स्तर पर संधारित पंजी में पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक में दर्ज किया गया है ।

अतः भविष्य में आपकी ओर से किये जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन का पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख अवश्य कर लें

हस्ताक्षर
वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी
नाम
पद
विकासखण्ड
जिला

आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त हितग्राही के खेत का ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के साथ किये जाने वाले भ्रमण उपरान्त, भ्रमण टीप प्रस्तुत करने हेतु प्रपत्र का प्रारूप

मेरे द्वारा हितग्राही श्री/श्रीमतीपिता/पति
..... ग्राम पोस्टविकासखण्ड जिला
..... की ओर से योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन में उल्लेखित जानकारी की पुष्टि हेतु
दिनांक को हितग्राही के खेत का हितग्राही के समक्ष जिसमें सिस्टम स्थापित
किया जाना है का भ्रमण कर निरीक्षण किया गया ।

निरीक्षण के समय आवेदन में उल्लेखित समस्त जानकारी सही पाई गई/नहीं
पाई गई । हितग्राही योजनान्तर्गत लाभ लेने की पात्रता रखता है ।

नोट : जानकारी सही नहीं पाई गई, की स्थिति में उनका विवरण दें तथा उससे संबंधित हितग्राही
को भी अवगत करावें ।

.....
.....
.....
हस्ता. हितग्राही.....
नाम

1. हस्ताक्षर
वरि.उ.वि.अधि.
नाम

.....
.....
.....
पद

2. हस्ताक्षर
नाम

.....
.....
.....
ग्रामीण उद्यान वि. अधि.

प्रपत्र-तीन

विकासखण्ड स्तर यपर प्राप्त आवेदनों को पंजीबद्ध करने हेतु निर्धारित प्रपत्र का प्रारूप

क्र.	नाम कृषक	ग्राम	वि.ख.	वर्ग (सामान्य, अ.जा/ अजजा) महिला	लघु/ सीमांत	कुल क्षेत्र	डै हेतु अनुसंशित फसल का नाम	डै अंतर्गत अच्छादित की जाने वाली फसल का क्षेत्रफल	ड्रिप/ सिप्रंकलर सिस्टम में से कृषक कौनसा सिस्टम चाहता है	पंजीकृत कंपनी का नाम जिसका सयंत्र कृषक क्रय करना चाहता है	आवेदन पत्र का पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	आवेदन प्राप्त का दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

नोट : विकासखण्ड प्रभारी, अपात्र पाये गये आवेदनों के संबंध में कारणों सहित संबंधित कृषक हितग्राही को लिखित में सूचित करेंगे ।

प्रपत्र-चार

कार्यालय : जिला माइक्रो इरीगेशन समिति
सहायक संचालक उद्यान, जिला

क्रमांक उद्यान/माइक्रो/

दिनांक :-

योजनान्तर्गत सिस्टम की स्थापना हेतु प्राक्कलन/ ड्राइंग/डिजाइन तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु जारी किये जाने वाले पत्र का प्रारूप

प्रति,

मेसर्स

.....

.....

विषय : माइक्रो इरीगेशन योजनान्तर्गत स्थापित किये जाने वाले सिस्टम का प्राक्कलन/ड्राइंग/डिजाइन तैयार कर प्रस्तुत करने बाबत ।

हितग्राही श्री/श्रीमतीपिता/पति.....

.. ग्राम वि.ख. के निवासी द्वारा माइक्रो इरीगेशन योजनान्तर्गत ड्रिप/स्प्रिंकलर सिस्टम से सिंचाई करने की सुविधा लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है ।

हितग्राही के आवेदन का पंजीयन क्रमांक दिनांक है । हितग्राही खेत के खसरा क्रमांकमेंहेक्टर क्षेत्र में फसल में ड्रिप/स्प्रिंकलर सिस्टम स्थापित कराना चाहता है ।

हितग्राही ने प्रस्तुत आवेदन पत्र में ड्रिप/स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम आपकी कम्पनी का चयन किया है ।

अतः आपसे आग्रह है कि संबंधित हितग्राही के खेत का भ्रमण कर, विद्युत/डीजल पम्प/सिंचाई स्रोत एवं जल की उपलब्धता का आंकलन कर चयनित फसल हेतु हैक्टर के लिये ड्रिप/स्प्रिंकलर सिस्टम का प्राक्कलन ड्राइंग/डिजाइन तैयार कर निर्धारित समय-सीमा दिन के अंदर विकासखण्ड के प्रभारी वरि.उ.वि.अधि. के कार्यालय व जिला कार्यालय को उपलब्ध करायें ।

सहायक संचालक उद्यान
सह सदस्य सचिव
जिला माइक्रो इरीगेशन समिति
जिला

पृष्ठांकित क्रमांक
प्रतिलिपि :-

दिनांक :-

- 1/ वरि.उ.वि. अधिकारी, विकासखण्ड की ओर सूचनार्थ/
आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 2/ हितग्राही श्री/श्रीमती ग्राम/पोस्ट
.....
वि.खण्डतह.जिला

की ओर भेजकर लेख है कि संबंधित कम्पनी जिसका चयन आपने किया है के भ्रमण सर्वे उपरान्त, नाली खुदाई आदि का कार्य निर्धारित समयावधि के अंदर करना सुनिश्चित करें, जिससे कि सिस्टम की स्थापना का कार्य निर्धारित समयसीमा के अंदर सम्पन्न किया जा सके ।

उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्य यदि आपके द्वारा बताई गई समय सीमा में नहीं किये जाते है तो ऐसी स्थिति में आपको योजना के लाभ लेने से वंचित कर दिया जायेगा ।

सहायक संचालक उद्यान
सह सदस्य सचिव
जिला माइक्रो इरीगेशन समिति
जिला

प्रपत्र – पॉच

माइक्रो इरीगेशन योजनान्तर्गत सिस्टम प्रतिस्थापन की प्रारम्भिक सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु प्रपत्र का प्रारूप

मेरे द्वारा दिनांक को हितग्राही श्री/श्रीमती.....
पि/पतिग्राम..... वि.खण्ड
... के खेत का भ्रमण कर निरीक्षण किया गया है निरीक्षण उपरान्त सत्यापित किया जाता है कि योजनान्तर्गत पंजीकृत एम.आई. कम्पनी द्वारा खसरा क्रमांक क्षेत्र..... हेक्टर फसल हेतु जिसका आवेदन में उल्लेख है के अनुसार ही सर्वे कार्य कर ड्राइंग/डिजाइन तैयार किया है । संबंधित खसरा क्रमांक जिसमें सिस्टम स्थापित किया जाना है, में सिंचाई हेतु जल स्रोत, विद्युत/डीजल पम्प कनेक्शन उपलब्ध है ।

अतः हितग्राही के खेत में सूक्ष्म सिंचाई योजनान्तर्गत ड्रिप/स्प्रिंकलर सिस्टम स्थापित करने हेतु प्रकरण स्वीकृति की अनुसंशा की जाती है ।

वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी
फील्ड कंसल्टेंट/ग्रा.उ.वि.अधि.
मुख्यालय
विकासखण्ड.....
जिला

प्रति,

सहायक संचालक उद्यान
सह सदस्य सचिव
जिला माइक्रो इरीगेशन समिति
जिला

प्रपत्र – छः

कार्यालय : जिला माइक्रो इरीगेशन समिति
सहायक संचालक उद्यान, जिला

क्रमांक उद्यान/माइक्रो/

दिनांक :-

माइक्रो इरीगेशन योजनान्तर्गत सिस्टम की स्थापना हेतु जारी किये जाने वाले
कार्यादेश का प्रारूप

प्रति,

मेसर्स

.....
.....

विषय : माइक्रो इरीगेशन योजनान्तर्गत ड्रिप/स्प्रिंकलर सिस्टम की स्थापना करने के
संबंध में ।

आपके द्वारा हितग्राही श्री/श्रीमतीपति/पत्नि
.....ग्राम वि.ख. का पंजीयन क्रमांक
..... दिनांक है, का स्थल निरीक्षण कर फसल में हेक्टर
में ड्रिप/ स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम की स्थापना हेतु सर्वे उपरान्त ड्राइंग/डिजाइन
अनुसार राशि रूपये प्राक्कलित की गई है ।

हितग्राही को योजनान्तर्गत निर्धारित फसल एवं क्षेत्रफल हेतु सिस्टम की
स्थापना पर राशि रूपये के अनुदान की पात्रता बनती है ।

आपके द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन का विभागीय अमले के द्वारा दिनांक
को निरीक्षण कर लिया है । निरीक्षण उपरान्त प्रकरण के स्वीकृति की गई अनुशंसा के क्रम
में आपको, प्रस्तुत प्राक्कलन ड्राइंग/डिजाइन अनुसार कार्य सम्पादित करने हेतु निर्देशित
किया जाता है ।

निर्देश के जारी दिनांक से 15 दिन के अंदर कार्य सम्पन्न कर कृषक के
संतुष्टि प्रमाण पत्र सहित आवश्यक अन्य दस्तावेज मय देयक (दअवपबम) के कार्यालय में
प्रस्तुत करें जिससे कि भुगतान की कार्यवाही निर्धारित समयावधि में सम्पन्न की जा सके ।

सहायक संचालक उद्यान
सह सदस्य सचिव
जिला माइक्रो इरीगेशन समिति
जिला
क्रमश

कमांक उद्यान / माइक्रो /
प्रतिलिपि :-

दिनांक :-

- 1/ वरि.उ.वि. अधिकारी, विकासखण्ड की ओर सूचनार्थ /
आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 2/ हितग्राही श्री / श्रीमती ग्राम / पोस्ट
.....
वि.खण्डतह.जिला
- 3/ की ओर सूचनार्थ ।
कार्यालय नस्ती ।

सहायक संचालक उद्यान
सह सदस्य सचिव
जिला माइक्रो इरीगेशन समिति
जिला

**माइक्रो इरीगेशन योजनानतर्गत स्थापित ड्रिप/स्प्रिंकलर सिस्टम की स्थापना उपरान्त
हितग्राही की ओर से प्रस्तुत किये जाने वाले
कृषक संतुष्टि प्रमाण पत्र का प्रारूप**

प्रमाणित किया जाता है कि माइक्रो इरीगेशन योजनानतर्गत मेरे खेत के खसरा क्रमांक में रोपित फसल में हेक्टर क्षेत्र में रूपये की लागत से मेसर्सकम्पनी द्वारा ड्रिप/स्प्रिंकलर सिस्टम स्थापित किया गया है । स्थापित सिस्टम पर रूपये की अनुदान राशि की सहायता प्राप्त की गई है ।

यह कि मेसर्स द्वारा सिस्टम के देयक के अनुसार सामग्री प्रदाय कर ड्राइंग/डिजाइन के अनुसार सिस्टम की स्थापन कर सफलतापूर्वक संचालित कर दिया है । सिस्टम की स्थापना व कार्यक्षमता से मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ ।

यह कि मेसर्स (डीलर) द्वारा स्थापित सिस्टम के संचालक के बारे में आवश्यक समझाइश व हिन्दी में पठनीय सामग्री उपलब्ध करा दी गई है ।

यह कि मैंने सिस्टम की स्थापना हेतु कृषक अंश की राशि रूपये चैक/डी.डी. क्रमांक/रसीद क्रमांक दिनांक द्वारा को उपलब्ध करा दी गई है ।

अतः सिस्टम प्रदायक संस्था मेसर्स को स्वीकृत अनुदान राशि के भुगतान की अनुशंसा करता हूँ ।

हस्ताक्षर

नाम हितग्राही
ग्राम वि.ख.
जिला

गवाह :

1. हस्ताक्षर
नाम
ग्राम.....वि.ख.
जिला
गवाह :

2. हस्ताक्षर
नाम
ग्राम.....वि.ख.
जिला

माइक्रो इरीगेशन योजनान्तर्गत स्थापित सिस्टम के भौतिक सत्यापन के प्रपत्र का प्रारूप

दिनांक को श्री/श्रीमती.....पिता/पति
ग्रामवि.ख. के खेत के खसरा क्रमांक में
.....फसल में माइक्रो इरीगेशन योजनान्तर्गत स्थापित ड्रिप/स्प्रिंकलर सिस्टम का निरीक्षण किया गया ।

मेसर्स द्वारा प्रस्तुत ड्राइंग/डिजाइन के आधार पर स्वीकृत प्राक्कलन एवं देयक में दर्शाई गई सामग्री के अनुसार सिस्टम स्थापित कर सुचारु रूप से संचालित किया गया है/नहीं किया गया है ।

निरीक्षण के समय यह भी देखा गया है कि स्थापित सिस्टम की समस्त सामग्री ठीक मानक स्तर की योजना के दिशा निर्देशानुसार उपलब्ध कराई गई है/नहीं कराई गई है ।

निरीक्षण के समय सिस्टम चालू कराकर देखा है अथवा हितग्राही से जानकारी प्राप्त कर जाना है कि स्थापित सिस्टम से सभी स्थानों पर पानी का वितरण एक समान है/असमान है ।

दल ने स्थापित सिस्टम का भौतिक सत्यापन कर लिया है कंपनी द्वारा कराये गये कार्यों तथा उपलब्ध कराई गई सामग्री की गुणवत्ता संतोषजनक/असंतोषजनक है ।

भौतिक सत्यापन संतोषजनक होने की स्थिति में स्वीकृत अनुदान राशि के भुगतान की अनुसंधान की जाती है ।

असंतोषजनक होने के कारण

टीम के सदस्य

सील/हस्ताक्षर

.....

1.

.....

2.

3.

4.

5.

.....

1. कार्यालय प्रमुख/नामांकित सदस्य.....

2. श्री

वरि.उ.वि. अधिकारी (वि.ख.प्रभारी)

3. श्री

ग्रा.उ.वि. अधिकारी (मैदानी कार्यकर्ता)

4. श्री

सरपंच/पंचायत प्रतिनिधि

हस्ताक्षर हितग्राही.....
नाम

ग्राम वि.ख.
5. श्री
.....
अन्य

कार्यालय : जिला माइक्रो इरीगेशन समिति
सहायक संचालक उद्यान, जिला

क्रमांक उद्यान/माइक्रो/

दिनांक :-

माइक्रो इरीगेशन योजनान्तर्गत पंजीकृत प्रकरण की अनुदान राशि स्वीकृति जारी करने
हेतु
पत्र का प्रारूप

हितग्राही श्री/श्रीमतीपिता/पति
... ग्राम पोस्ट..... वि.ख. का योजनान्तर्गत
ड्रिप/स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम की स्थापना कराने हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसका
पंजीयन क्रमांक दिनांक में दर्ज है ।

हितग्राही के आवेदन पत्र के परीक्षण उपरान्त योजनान्तर्गत पंजीकृत कम्पनी
मेसर्स द्वारा कृषक के खेत का स्थल निरीक्षण कर प्रस्तुत
प्राक्कलन, ड्राइंग, डिजाइन अनुसार फसल हेतु हेक्टर में
ड्रिप/स्प्रिंकलर सिस्टम की स्थापना हेतु लागत राशि रुपये प्राक्कलित की गई है
।

कृषक द्वारा उक्त प्राक्कलित राशि के अनुसार कृषक अंश की राशि रुपये ..
..... का चेक/डी.डी./रसीद क्रमांक दिनांक से मेसर्स
..... कम्पनी अधिकृत वितरक (डीलर) को दे दी गई है ।

कृषक का प्रकरण जिला माइक्रो इरीगेशन समिति की बैठक दिनांक
में दी गई स्वीकृति के परिपालन में हेक्टर क्षेत्र के लिये फसल हेतु
ड्रिप/स्प्रिंकलर सिस्टम की स्थापना सुचारु रूप से हो जाने एवं भौतिक सत्यापन की
रिपोर्ट संतोषजनक प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप राशि रुपयेके अनुदान की स्वीकृत
प्रदान की जाती है ।

सहायक संचालक उद्यान
सह सदस्य सचिव
जिला माइक्रो इरीगेशन समिति
जिला

पृष्ठांकित क्रमांक
प्रतिलिपि :-

दिनांक :-

- 1/ वरि.उ.वि. अधिकारी, विकासखण्ड की ओर सूचनार्थ/
आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 2/ कार्यालय नस्ती ।

सहायक संचालक उद्यान
सह सदस्य सचिव

प्रपत्र—दस

माइक्रो इरीगेशन योजनान्तर्गत स्थापित सयंत्र को अहस्तांतरित करने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत
करने हेतु प्रपत्र का प्रारूप
(रूपये 5/- के स्टाम्प पेपर पर)

मैं, आत्मज श्री
ग्राम वि.खण्डतहसीलजिला
का निवासी हूँ । मेरे द्वारा जिला माइक्रो इरीगेशन समिति द्वारा संचालित सूक्ष्म सिंचाई
योजनान्तर्गत हेक्टर में फसल हेतु ड्रिप/स्प्रिंकलर सिस्टम की स्थापना
करने पर रूपये का लाभ अनुदान के रूप में प्राप्त किया है ।

2. यह कि मैं, वचन देता हूँ कि योजनान्तर्गत स्थापित सिस्टम (सेट) या सिस्टम
के किसी हिस्से (भाग) को किसी अन्य का विक्रय नहीं करूंगा और न ही किसी अन्य विधि
से किसी को हस्तांतरित करूंगा ।

3. यह कि मैं, वचन देता हूँ कि योजनान्तर्गत मेरे खेत पर स्थापित सिस्टम का
उद्यानिकी/कृषि/अन्य अधिकारी व समिति जिसे राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा निरीक्षण हेतु
अधिकृत गया हो, द्वारा कभी भी निरीक्षण करने से नहीं रोकूंगा ।

4. यह कि मैं, वचन देता हूँ कि यदि मेरे द्वारा योजनान्तर्गत स्थापित सिस्टम यदि
किसी को हस्तांतरित किया व बेचा जाता है तो राज्य शासन मुझसे अनुदान की राशि
भू-राजस्व की भांति वसूल करने में सक्षम होगा ।

हस्ताक्षर

कृषक का नाम
पता

दो गवाह :-

1/ हस्ताक्षर
नाम..... ग्राम

2/ हस्ताक्षर
नाम ग्राम

**भारत/राज्य सरकार की किसी अन्य योजना में ड्रिप/स्प्रिंकलर सिस्टम की
प्रतिस्थापना पर लाभ न लेने संबंधी प्रमाण पत्र**

मेरे अथवा मेरे परिवार के सदस्य द्वारा (यदि संयुक्त है) भारत/राज्य सरकार की किसी अन्य योजना में इससे पूर्व ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई हेतु अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं किया है ।

हस्ताक्षर

कृषक का नाम

पता

